



2026:AHC:14964

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 136 सन् 2026

प्रवीण कुमार

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: कपिल कुमार सोनी, विनोद कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादीयों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्राथना सहित दायर की गई है:

"ए. राज्य प्रतिवादीयों को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके अन्तर्गत ग्राम सिखेड़ा, परगना एवं तहसील-धौलाना, जिला हापुड़ में स्थित एवं राजस्व अभिलेखों में चारागाह के रूप में दर्ज अराजी संख्या 416 खा क्षेत्रफल 2.7320 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर निजी प्रतिवादीयों द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण समयबद्ध सीमा के भीतर हटाया जाए, ताकि सम्बन्धित क्षेत्र की आम जनता के हित में न्याय सुनिश्चित हो सके।"

3. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भूखण्ड संख्या 416-खा राजस्व अभिलेखों में चरागाह (वर्ग-5-3-ग श्रेणी का भूखण्ड) के रूप में दर्ज है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखण्ड की प्रविष्टि के दृष्टिगत निजी प्रतिवादी का अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाना चाहिए।

4. मैंने याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेखों का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन भूखण्ड चरागाह के रूप में दर्ज है।
6. संलग्नक संख्या 1, जो 1428-1433 फसली की खतौनी है, के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि विचाराधीन भूखण्ड के सम्बन्ध में उ.प्र.जे.ए. एवं एल.आर. अधिनियम की धारा 198(4) के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी तथा रिट याचिका संख्या 27/05-06 इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया है।
7. चूँकि विचाराधीन भूखण्ड के पट्टा निरस्तीकरण के विषय में रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है एवं अन्तरिम आदेश प्रभावी है, अतः इस जनहित याचिका में की गई प्रार्थना ग्राह्य नहीं है।
8. प्रकरण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।
9. यह जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

21 जनवरी, 2026

पीएस*